

द्वितीय प्रपत्र भाग पर-पर्याप्त है

उपरोक्त कार्यालय सागर
के अंश 299-14 को प्राप्त।

राजस्व मंडल
न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय, सागर डेप्य
29-9-14

R. 3472-II/14

B.O.R.

1 SEP 2014

- १- श्री मति लक्ष्मी पत्नि विश्वनाथ केशवानी
- २- श्री मति सुषामा पत्नि नंदकिशोर केशवानी
- दोनों निवासी जवाहरगंज वार्ड, सागर
- तहसील व जिला सागर (म०प्र०)


पुनरीक्षण करारिण

॥ विरुद्ध ॥

- १- रामेश्वर वल्द स्व० महादेव प्रसाद रावत
- २- चन्द्रशेखर वल्द स्व० महादेव प्रसाद रावत
- ३- केदारनाथ वल्द स्व० महादेव प्रसाद रावत
- तीनों निवासी विवेकानंद वार्ड, सागर
- तहसील व जिला सागर (म०प्र०)

- ४- आशीष वल्द कामलचंद मायजी
- निवासी रामपुरा वार्ड, सागर तह० व जिला सागर
- ५- मध्यप्रदेश शासन
- द्वारा- कलेक्टर, सागर (म०प्र०)

आवेदकगण



136
26-09-14

1-10-14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०-राजस्व संहिता

पुनरीक्षण करारिण माननीय अपर कलेक्टर, सागर के राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक ०८।अ-६(अ) २०१०-११ पत्राकार रामेश्वर व अन्य वि० म०प्र० शासन व अन्य में पारित संशोधित आदेश दिनांक ०४।१०।२०१३ सहपठित आदेश दिनांक १२।०७।०११ से दुखित होकर निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण पेश करते हैं-

- १- यहकि, प्रकरण के सिद्धांत तथ्य निम्न प्रकार हैं कि पुनरीक्षण करारिण ने मौजा पथरिया हाट की भूमि ख०न० २४६ रकवा ०-५७ हे० दिनांक ८।६।६४ को पंजीकृत विक्रय पत्र के मध्यम से अमित कुमार से खरीद कर कब्जा पाया था।

Handwritten signature or scribble at the bottom left.

२५६०६

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

50

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3472-एक/2014

जिला-सागर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
4-3-15 सागर कैंप	<p>आवेदकपक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदक अधिवक्ता व आवेदकपक्ष को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	